न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारीः हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या – 130/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

जीसीएमएस नं0 2016/00174

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

---प्रार्थी.

बनाम

श्रीमति हंसो पत्नि स्व0 श्री माधो जाति यादव निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

--अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवन्टन) नियम 1970.

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह चौहान राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक –14/06/2022

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थीया को ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 330,329 हाल खसरा नम्बर क्रमशः 417 रकबा 0.68 हे0, ख0नं0 416 रकबा 0.64 हे0 भूमि दिनांक 18.12.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 25.4.2016 को पेश किया गया।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया किया गया । अप्रार्थी फौत हो जाने से अप्रार्थी आवंटी के वारिसान अमरसिंह एवं रणजीत आत्मज मूलचंद पुत्रगण श्रीमति हंसो की ओर से एडवोकेट दिनेशराय द्विवेदी का वकालतनामा दिनांक 30.08.2016 का पेश हुआ किन्तु वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । आज दिनांक को भी वकील अप्रार्थी उपस्थित है । अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित । प्रकरण में पटवारी हल्का की वर्तमान रिपोर्ट दिनांक 01.6.2022 प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है । राजपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । राजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थीगण को सुना गया ।

3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए तथा वर्तमान पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर मौके की स्थिति अनुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया।

4. अप्रार्थीया के कायम मुकामान रणजीत सिंह एवं अमरसिंह द्वारा निवेदन किया है कि उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त नहीं है ।

5. हमने राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । आवंटी को ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 330,329 हाल खसरा नम्बर क्रमशः ख0नं0 417 रकबा 0.68 हे0, ख0नं0 416 रकबा 0.64 हे0 भूमि दिनांक 18.12.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, आवंटन पश्चात आवंटी का एवं उनके वारिसान का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है । वर्तमान पटवारी रिपोर्ट दिनांक 01.6.2022 अनुसार आवंटित भूमि पर सामुदायिक भवन, जलदाय विभाग की पानी की टंकी, आंगनबाडी व पशु चिकित्सालय बना हुआ है व शेष भूमि मौके पर खाली पडी हुई है जिस पर भी आवंटन से अब तक आवंटी

जिला कलेक्टर
कोटा

अथवा उनके वारिसान द्वारा कभी कब्जा काश्त नहीं करना जाहिर आया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के स्वीकार किया जाना उचित पाते है ।

6. परिणामस्वरूप आवंटी अप्रार्थी को आवंटित भूमि ख0नं0 417 रकबा 0.68 हे0, ख0नं0 416 रकबा 0.64 हे0 पर कब्जा काश्त नहीं करने एवं वर्तमान में भूमि पर सामुदायिक भवन, जलदाय विभाग की पानी की टंकी, आंगनबाडी व पशु चिकित्सालय बना हुआ होने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आवंटी अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 18.12.1976 निरस्त किया जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा